239

संख्या– /2014 /14/IX/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवामें,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन निदेशालय
जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट, देहरादून।

परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग–2 देहरादून :दिनॉकः 4 मार्च ,2014

विषयः– **बड़कोट,जनपद उत्तरकाशी में प्रस्तावित हैलीपैड स्थल तक दोनों ओर से जोड़ने हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण ।**

महोदय,

उपुर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या–14/CM घोषणा/ना0उ0/2013,दिनॉक 26 अगस्त, 2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बड़कोट जनपद उत्तरकाशी में प्रस्तावित हैलीपैड स्थल को दोनों ओर से सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु (रडी खड्ड पर 24.00 मीटर स्पान के स्टीड गर्डर सेतु सहित) 6 वॉ वृत्त लोक निर्माण विभाग,उत्तरकाशी द्वारा इस हेतु गठित रुपये 100.46 लाख के आगणन पर टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रुपये 100.46 लाख (रुपये एक करोड़ छियालीस लाख मात्र) की धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में उतनी ही धनराशि 100.46 लाख (रुपये एक करोड़ छियालीस लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि रुपये 100.46 लाख (14.60+85.86) में से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2008 के प्राविधानों से आच्छादित होने वाले कार्यो के निमित्त संस्तुत एवं अकित धनराशि रुपये 85.86 लाख (रुपये पिचासी लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावाली 2008 के प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार व्यय की जायेगी ।

3– उक्त धनराशि का आहरण कर रेखॉकिंत बैंक ड्राफट के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड,6 वॉ वृत्त,लोक निर्माण विभाग,उत्तरकाशी को उपलब्ध कराया जायेगा ।

4– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय । यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के हेतु पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है । ऐसा ब्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये । व्यय में मितब्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग 31 मार्च,2014 तक अवश्य कर लिया जाय । यदि इस अवधि तक उक्त धनराशि अथवा उक्त धनराशि का कुछ भाग अवशेष उपलब्ध हो तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जाये । ब्यय की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रत्येक माह की पॉच तारीख तक निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराई जाये ।

6– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल आफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है,अथवा बाजार भाव से ली गयी हैं,की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित करना आवश्यक है ।

7– कार्य के निर्माण के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनॉक 05–04–2004 का अनुपालन किया जायेगा ।

8– मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006),दिनॉक 30 मई,2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाये ।

9– चूँकि बड़कोट में वर्तमान में राज्य के पायलटों द्वारा जिस जमीन को हैलीपैड के रुप में उपयोग किया जा रहा है,उसमें उड़ान क्षेत्र निर्बाध है,अतः दोनों ओर से सम्पर्क मार्ग निर्माण करने से पूर्व पायलट से इसकी आवश्यक पुष्टि भी कर ली जाय और पूर्ण सन्तुष्टि के उपरान्त ही कार्य पर व्यय प्रारम्भ किया जाय ।

10– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 5053–नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय–02–विमान पत्तन–800–अन्य व्यय–08 हैलीपैड एवं हैंगर का निर्माण–24 बृहत् निर्माण के नामे डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 874(A)XXVI/(2) दिनॉक, 04 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव ।

संख्या– 01 /14/IX/2013,समदिनॉकिंत

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01– महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

02– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/देहरादून ।

03– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

04– वित्त अधिकारी साइबर कोषागार,,देहरादून ।

05– वित्त अधिकारी,उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ।

06– वित्त अनुभाग–1

07– गार्ड फाइल

08– एन0आई0सी0उत्तराखण्ड सचिवालय ।

आज्ञा से,

(सचिन कुर्वे)

अपर सचिव ।